# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 01.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", अमर उजाला, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा, तरुणमित्र न्यूज़, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

## अमर उजाला–दि0 01.12.2024

### लालपुर आवासीय योजना में होंगे विकास कार्य

**वाराणसी।** वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा लालपुर आवासीय योजना के तहत पार्क, सड़क निर्माण का शिलान्यास मंत्री अनिल राजभर ने किया। आंतरिक विकास कार्यों के तहत सड़क, सीवर के लिए 145.74 लाख और पार्क निर्माण कार्य के लिए 167.89 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इससे लोगों को सहूलियत होगी। इस दौरान अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा मौजूद रहे। ब्यूरो

## अमर उजाला–दि0 01.12.2024

### नक्शे के लिए नहीं लेना होगा भू-स्वामित्व एनओसी

**वाराणसी।** वीडीए वीसी पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में शनिवार को मानचित्र स्वीकृत के संबंध में बैठक हुई। वीडीए वीसी ने कहा कि मानचित्र स्वीकृत कराने में अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग से भू-स्वामित्व/अर्जन/सीलिंग की अनापत्ति लिया जाता था। जिसके कारण कुछ प्रकरणों में कुछ समय लग जाता था और आवेदकों को कठिनाई भी होती थी। अब अनुभाग से किसी प्रकार के अनापत्ति लेने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी। अब भू-स्वामित्व संबंधी परीक्षण भी अवर अभियंता द्वारा किया जाएगा। वीडीए वीसी ने कहा कि अब किसी प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदित मानचित्र की भूमि/आराजी संख्या पर अर्जन अथवा सीलिंग भूमि पाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में नगर नियोजन की सहमति के बाद ही अनापत्ति के लिए अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग अथवा तहसील में भेजा जाएगा। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 01.12.2024

## नक्शे के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी

**वाराणसी।** वीडीए सभागार में शनिवार को बैठक हुई। इसमें मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए अब अवाप्ति अनुभाग और तहसील से एनओसी लेने की पुरानी व्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि मानचित्र स्वीकृत कराने में अवाप्ति सीलिंग अनुभाग से भू-स्वामित्व अर्जन सीलिंग की अनापत्ति ली जाती थी। इससे समय लगता था। इससे देखतेव्यवस्था को समाप्त कर दी गई है।

हिन्दुस्तान–दि0 01.12.2024

## 49 अवैध निर्माण चिह्नित, नोटिस

**वाराणसी।** अनधिकृत प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए वीडीए ने कमर कस ली है। इसके लिए 'इन्फोर्समेट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर' की मदद ली जा रही है। सेटेलाइट डाटा के आधार पर नव निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग का चिह्नांकन शुरू कर दिया है।

पहले दिन शनिवार को 1000 वर्ग मीटर से बड़े 49 नव निर्माण का चिह्नित हुए। इनके स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि सॉफ्टवेयर के जरिए निर्माण का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है।

## ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 01.12.2024

# वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराने में अब अवाप्ति अनुभाग/तहसील से नहीं लेनी होगी एन.ओ.सी.

वाराणसी। वर्तमान में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी से जनसामान्य को मानचित्र स्वीकृत कराने में अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग से भू-स्वामित्व/अर्जन/सीलिंग की अनापत्ति लिया जाता था, जिसके कारण कतिपय प्रकरणों में कुछ समय लग जाता था तथा आवेदकों को कठिनाई भी होती थी। जनसामान्य के इस समस्या के समाधान हेतु उपाध्यक्ष, पुलकित गर्ग द्वारा अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग से किसी प्रकार के अनापत्ति लेने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी।उपाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त समस्या का समाधान करते हुए अब भू-स्वामित्व सम्बन्धी परीक्षण भी अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।उपरोक्त व्यवस्था के सुगम अनुपालन हेतु आज दिनाक 30.11.2024 को प्राधिकरण सभागार कक्ष में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के उपाध्यक्ष, पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में कार्यशाला भी आयोजित किया गया, जिसमें तहसीलदार द्वारा जोनल अधिकारियों एवं अवर अभियन्ताओं को उक्त व्यवस्था की जानकारी एवं अभिलेख भी दिये गये।किसी प्रकरण में आवेदक द्वारा आवेदित मानचित्र की भूमि/आराजी संख्या पर अर्जन अथवा सीलिंग भूमि पायी जाती है तो ऐसे प्रकरणों में नगर नियोजन की सहमति के उपरान्त ही अनापत्ति हेतु अवाप्ति/सीलिंग अनुभाग अथवा तहसील, वाराणसी को प्रकरण प्रेषित किया जायेगा।यह निर्णय मानचित्र की स्वीकृति के सरलीकरण हेतु लिया गया है।उपाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि लैंड ओनरशिप में यह देखा जाएगा कि आवेदन किसी तालाब अथवा सरकारी भूमि की जमीन पर तो नहीं किया गया है, यदि आवेदन तालाब/सरकारी की जमीन पर किया गया है, तो उस स्थिति में किसी भी हालत में मानचित्र पास नहीं किया जाएगा।साथ ही यह भी निर्देशित किया की जोन कार्यालय की ओर से किसी भी आर्किटेक्ट के नाम को आवेदक को प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। आवदेक द्वारा जिस किसी भी आर्किटेक्ट्स का पंजीकरण विकास प्राधिकरण में है, ऐसे किसी भी पंजीकृत आर्किटेक्ट से मानचित्र तैयार करवा सकते हैं। पंजीकृत आर्किटेक्टों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइड पर उपलब्ध है एवं जोन कार्यालय में आर्किटेक्टों के नाम व मो0नं0 की सूची भी चस्पा किये जाये।बैठक में जोन कार्यालय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाध्यक्ष द्वारा मुख्यालय को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा, सड़कों से जोन कार्यालय तक पहुंचने के लिए साइन बोर्ड लगाने का भी निर्णय लिया गया, ताकि आमजनमानस आसानी से जोन कार्यालय पहुँच सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

## ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 01.12.2024

# लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों का मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास

वाराणसी। विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार को मंत्री अनिल राजभर जी ने आंतरिक विकास कार्यों और पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।आंतरिक विकास कार्यों के अंतर्गत सड़कों, केसीडेन, सीवर और वाटर मेन के निर्माण के लिए 145.74 लाख की के साथ ही पार्क निर्माण कार्य के लिए 167.89 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, कुल 313.63 लाख की अनुमानित लागत से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा, यह परियोजना क्षेत्र के निवासियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा।

राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए इस तरह के विकास कार्यों को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। इस योजना से स्थानीय निवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सड़क, सीवर और जल निकासी के बेहतर प्रबंधन से इलाके में रहने वालों को दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिलेगी। पार्क का निर्माण लोगों के लिए मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों का एक केंद्र बनेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के कई प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने परियोजना की तकनीकी और प्रबंधन संबंधी जानकारियां साझा कीं।

न्यायाधीश–दि0 01.12.2024

## सेटेलाइट डाटा के आधार पर नव निर्माणों एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन सहित अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र कुल लगभग 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उक्त क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम, वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित कुल 850 गाँव सम्मिलित है। उक्त विकास क्षेत्र को कार्यहित में 05 जोन में विभक्त किया गया है। सूच्य है कि विकास क्षेत्र अन्तर्गत जनपद वाराणसी के 631 गाँव सहित चन्दौली जिले के 170 गाँव एवं मिर्जापुर जिले के 49 गाँव सम्मिलित हैं। उक्त क्षेत्रान्तर्गत अनधिकृत प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण पर नियंत्रण लगाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ''इन्फोर्समेट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर'' के माध्यम से सेटेलाइट डाटा के आधार पर नव निर्माणों एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन सहित अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उपाध्यक्ष वी0डी0ए0 पुलकित गर्ग के निर्देश पर तकनीकी टीम द्वारा प्रथम चरण में 1000 वर्ग मीटर से बड़े 49 नव निर्माणों का चिन्हांकन क्रमशः जोन-01, 02 एवं 03 में किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर की विशेषताएं निम्नवत् है-सेटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण का क्षेत्रफल, तल एवं निर्माण होने की अवधि का विवरण उसके अक्षांश, देशान्तर सहित प्राप्त हो जाता है।वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित आराजियो/गॉवो का भू-प्रयोग उक्त सॉफ्टवेयर पर अपलोड है, जिससे निर्माण स्थल का भू-प्रयोग भी सेटेलाइट डाटा के साथ ही प्राप्त हो जाता है।साफ्टवेयर द्वारा नव निर्माण स्थल तक पहुँचने का अनुकूल मार्ग गूगल लोकेशन के साथ दर्शित किया जाता है एवं स्थल तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जाती है।उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा सेटेलाइट डाटा के आधार पर 30 सेन्टीमीटर तक के विचलन का भी चिन्हांकन कर लिया जाता है।उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित नव निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग का लोकेशन विवरण सहित लिंक सम्बन्धित जोन में प्रेषित कर दिया जाता है एवं जोन के अधिकारी/कार्मिक द्वारा उक्त चिन्हित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर की जायेगी।उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेटेलाइट डाटा का प्रयोग करते हुए अधिक संख्या में नव निर्माणों का चिन्हांकन करते हुए शमन कराया जायेगा या उनके विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी,।

न्यायाधीश–दि0 01.12.2024

## लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों का मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास

वाराणसी।वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार को माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी ने आंतरिक विकास कार्यों और पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आंतरिक विकास कार्यों के अंतर्गत सड़कों, केसीडेन, सीवर और वाटर मेन के निर्माण के लिए ?145.74 लाख की के साथ ही पार्क निर्माण कार्य के लिए ?167.89 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, कुल ?313.63 लाख की अनुमानित लागत से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा, 'यह परियोजना क्षेत्र के निवासियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा। राज्य सरकार जनता की भलाई के लिए इस तरह के विकास कार्यों को निरंतर प्रोत्साहन दे रही है।' इस योजना से स्थानीय निवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। सड़क, सीवर और जल निकासी के बेहतर प्रबंधन से इलाके में रहने वालों को दैनिक जीवन में बड़ी राहत मिलेगी। पार्क का निर्माण लोगों के लिए मनोरंजन और सामुदायिक गतिविधियों का एक केंद्र बनेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने यह भी आश्वासन दिया है कि इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में विकास की गति और तेज होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के कई प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता श्री अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता श्री शिवाजी मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने परियोजना की तकनीकी और प्रबंधन संबंधी जानकारियां साझा कीं।

## राष्ट्रीय सहारा–दि0 01.12.2024

### लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों का मंत्री ने किया शिलान्यास

**वाराणसी।** वीडीए लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार को मंत्री अनिल राजभर ने आंतरिक विकास कार्यों और पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आंतरिक विकास कार्यों के अंतर्गत सड़कों, केसीडेन, सीवर और वाटर मेन के निर्माण के लिए रुपए 145.74 लाख की के साथ ही पार्क निर्माण कार्य के लिए रुपए 167.89 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, कुल रुपए 313.63 लाख की अनुमानित लागत से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, अधिशासी अभियंता अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता शिवाजी मिश्रा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

## राष्ट्रीय सहारा–दि0 01.12.2024

### 'इंफोर्समेंट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर' के जरिये अवैध प्लाटिंग का चिह्नांकन

**वाराणसी।** वीडीए का विकास क्षेत्र कुल लगभग 1073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उक्त क्षेत्रांतर्गत नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित कुल 850 गांव सम्मिलित है। उक्त विकास क्षेत्र को कार्यहित में 05 जोन में विभक्त किया गया है। विकास क्षेत्र अंतर्गत जनपद वाराणसी के 631 गांव सहित चंदौली जिले के 170 गांव एवं मिर्जापुर जिले के 49 गांव सम्मिलित है। उक्त क्षेत्रांतर्गत अनिधिकृत प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण पर नियंत्रण लगाने के लिए वीडीए की तरफ 'इंफोर्समेंट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर' के माध्यम से सेटेलाइट डाटा के आधार पर नव निर्माणों एवं अवैध प्लाटिंग का चिह्नांकन सहित अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर तकनीकी टीम द्वारा प्रथम चरण में 1000 वर्ग मीटर से बड़े 49 नव निर्माणों का चिह्नांकन क्रमशः जोन-एक, दो एवं तीन में किया गया है।

### वीडीए ने ध्वस्त किया अवैध प्लाटिंग

**वाराणसी।** वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-दो की प्रवर्तन टीम ने अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। सारनाथ वार्ड के मौजा पतेरवाँ के अंतर्गत रमेश यादव 4000 वर्गमीटर, शुभम पाण्डेय 2000 वर्गमीटर, मनोज श्रीवास्तव 5000 वर्गमीटर, में लगभग कुल 11000 वर्गमीटर में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उक्त अवैध प्लाटिंग को शनिवार को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

## न्यायाधीश–दि0 01.12.2024

### अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी

वाराणसी। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी वार्ड- सारनाथ मौजा पतेरवाँ के अन्तर्गत रमेश यादव 4000 वर्गमीटर, शुभम पाण्डेय 2000 वर्गमीटर, मनोज श्रीवास्तव 5000 वर्गमीटर, मे लगभग कुल 11000 वर्गमीटर मे अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उक्त अवैध प्लाटिंग को आज दिनांक 30.11.2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियन्ता श्री विनोद कुमार, वर्तिका दूबे व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

## परफेकट मिशन–दि0 01.12.2024

### लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों का मंत्री अनिल राजभर ने किया शिलान्यास

**वाराणसी।** वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा लालपुर आवासीय योजना में विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। शनिवार को मंत्री अनिल राजभर ने आंतरिक विकास कार्यों और पार्क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। आंतरिक विकास कार्यों के अंतर्गत सड़कों, केसीडेन, सीवर और वाटर मेन के निर्माण के लिए ?145.74 लाख की के साथ ही पार्क निर्माण कार्य के लिए ?167.89 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस प्रकार, कुल ?313.63 लाख की अनुमानित लागत से इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने कहा, ‰यह परियोजना क्षेत्र के निवासियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सड़कों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्र के सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा।

## तरूणमित्र न्यूज–दि0 01.12.2024

### वीडीए अब सेटेलाईट के माध्यम से नज़र रख, पकड़ेगा अवैध निर्माण

**☐ सॉफ्टवेयर द्वारा सेटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण के पूर्व स्थल का फोटो एवं निर्माण के दौरान/पश्चात् स्थल का फोटो दर्शित किया जायेगा**

तरूणमित्र न्यूज

**वाराणसी।** अनधिकृत प्लाटिंग एवं अवैध निर्माण पर नियंत्रण लगाने हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा "इन्फोर्समेंट जियाट्रिक्स सॉफ्टवेयर" के माध्यम से सेटेलाइट डाटा के आधार पर नव निर्माणों एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन सहित अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। उपाध्यक्ष वीडीए पुलकित गर्ग के निर्देश पर तकनीकी टीम द्वारा प्रथम चरण में 1000 वर्ग मीटर से बड़े 49 नव निर्माणों का चिन्हांकन क्रमशः जोन-01, 02 एवं 03 में किया गया है।

उक्त सॉफ्टवेयर की विशेषता है कि सैटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण का क्षेत्रफल, तल एवं निर्माण होने की अवधि का विवरण उसके अक्षांश, देशान्तर सहित प्राप्त हो जाता है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित आराजियों/गांवों का भू-प्रयोग उक्त सॉफ्टवेयर पर अपलोड है, जिससे निर्माण स्थल का भू-प्रयोग भी सैटेलाइट डाटा के साथ ही प्राप्त हो जाता है। सॉफ्टवेयर द्वारा नव निर्माण स्थल तक पहुँचने का अनुकूल मार्ग गूगल लोकेशन के साथ दर्शित किया जाता है एवं स्थल तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित की जाती है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा सेटेलाइट डाटा के आधार पर 30 सेन्टीमीटर तक के विचलन का भी चिन्हांकन कर लिया जाता है। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा चिन्हित नव निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग का लोकेशन विवरण सहित लिंक सम्बन्धित जोन में प्रेषित कर दिया जाता है एवं जोन के अधिकारी/कार्मिक द्वारा उक्त चिन्हित स्थलों का निरीक्षण करते हुए अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से सेटेलाइट डाटा का प्रयोग करते हुए अधिक संख्या में नव निर्माणों का चिन्हांकन करते हुए शमन कराया जायेगा या उनके विरूद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी, जिससे वाराणसी विकास प्राधिकरण के राजस्व में वृद्धि होने के साथ-साथ शहर के सुनियोजित विकास को भी गति मिलेगी। उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा सेटेलाइट डाटा के आधार पर निर्माण के पूर्व स्थल का फोटो एवं निर्माण के दौरान/पश्चात् स्थल का फोटो दर्शित किया जायेगा। सैटेलाइट इमेज के आधार पर जोन-01 में 1000 वर्गमीटर से बड़े 02 निर्माण स्थलों की मौके पर जाँच की गयी, जिनका मानचित्र स्वीकृत पाया गया। इसी प्रकार जोन-03 दशाश्वमेध में 02 लॉन (दुल्हन पैलेस मैरिज लॉन एवं मौर्य मंगलम लॉन) में अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया।

सेटलाइट के माध्यम से निर्माण कार्य पर अब रहेगी वीडीए की नज़र